

श्री किशन उपाध्याय,
आर0जैड0-22,
साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II,
उत्तम नगर,
नई दिल्ली-110059.

उप निदेशक (राजस्व)प0/द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री किशन उपाध्याय, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 27-08-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 05.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री किशन उपाध्याय, उपस्थित हुए एवं श्री अतर सिंह, मुख्य लिपिक द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-I, जनकपुरी, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 26.06.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसका जवाब नहीं मिलने के कारण यह अपील दिनांक 27.08.2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिए गए जवाब की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को अभी प्रदान की जाए एवं इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता की शिकायत को नियमानुसार दूर करने का प्रयास किया जाए। अपीलकर्ता ने पानी की लाईन डालने के बाद गली में गडडे छोड़ जाने सम्बन्धी शिकायत भी की। इसके लिए उनको सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता (पश्चिम) से मिलकर शिकायत करने को कहा गया।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री किशन उपाध्याय, आर0जैड0-22, साउथ एक्सटेंशन पार्ट- II, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059.
2. उप निदेशक (राजस्व) प0/द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-I, जनकपुरी।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

5726
09/11/15